

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण - पत्र
वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार
2021

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- कमल गोमल
वर्तमान धारित पद सहायक अभियंता

2 संवर्ग तकनीकी
4 वर्तमान वेतनमान

जिला/तहसील और गांव/ग्राम/शहर जिसमें सम्पत्ति स्थिति है	सम्पत्ति आवास, भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक के सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकारी / उपहार / अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों के विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत रु० में	वर्तमान अनुमानित मूल्य रु० में	सम्पत्ति से वार्षिक आय ' में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा	आवासीय	1/16 भाग	पुरतनी	-	-	-	-	-
अल्मोड़ा	भूमि (5 नाली) (भाग संकायकी)	रकम	रुप	1991	25770	-	-	-

स्थान- अल्मोड़ा
दिनांक- 27/12/2021

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम कमल गोमल
पदनाम सहायक अभियंता
विभाग लोक निर्माण विभाग आन्धीप रावण
अल्मोड़ा

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष ही 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्वाहक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जायेगी।

राज्यघान सेवाका क कामका क द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021 के दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)
(सेवा-14 वर्ष 6 माह)

1-अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-सन्नी दवाल
3-वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

2-संवर्ग- तकनीकी
4-वर्तमान वेतनमान- (लेवल-10)

जिला तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (संक्षेपित सही)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम एवं सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लौज/बंशक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अनुवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			—रु०—					

स्थान-सहीवा
दिनांक- 10.5.22

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम-सन्नी दवाल
पद का नाम-सहायक अभियन्ता,
विभाग-अवकाश, लोकनिर्माण, सहीवा

- टिप्पणी-1-श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित निवृत्ति/नियन्त्रक अधिकारी को आवश्यक प्रस्तुत की जाए, अन्य श्रेणीयों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाए।
2-प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिस्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिस्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए, और यदि कोई आधिस्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3-यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ-6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
4-अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021-22 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- श्री एस0एस0 पटवाल

2. संवर्ग- तकनीकी

2. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

4. वर्तमान वेतनमान- ₹0 1,23,000.00 -2,15,900.00 (Level-13)

जिला तहसील और गांव व सहर जिनमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम(यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/ लीज/ बंधक/ उत्तराधिकार/ उपहार/ अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (लाख में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (लाख में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम- सिनहोली, तहसील- पीडी, जिला- पीडी गढ़वाल।	आवासीय भवन-1, कृषि भूमि- 0.09 है0	स्वयं	पैतृक	पैतृक	-	8.00 लाख	0.20	कृषि भूमि पर खेती से आय प्राप्त है।
ग्राम- नकरौदा/ बालावाला, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून।	0.085 है0		अर्जित	04.12.2000	1.00	22.00	0.30	
ग्राम- मोधरोवाला, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून।	0.026 है0			09.07.2007	3.00	15.00	-	
ग्राम- नाल्थनपुर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून।	आवासीय भवन-1 भूमि 0.063 है0	श्रीमती उर्मिला (पत्नी)	पैतृक	04.01.1990	0.80	85	1.80	आवासीय भवन के एक मंजिल के किराये से आय प्राप्त है।

स्थान

देहरादून।

दिनांक

28/01/2022

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम एस0एस0 पटवाल

पदनाम

सहायक अभियन्ता

विभाग

अस्थाई खण्ड लो0नि0वे0, ऋषिकेश।

टिप्पणी:-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वार्षिक वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित निवृत्ति/ नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई खोपिथ/कमी हुई हो तो तदनुसार अभिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिक/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय खैट/अन्य भवन के रूप में कय की गयी है तो स्तम्भ 6 में मूल कद मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक- पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य राज्य भवन विभाग की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अर्जित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

(वर्ष 2020 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2020 की स्थिति अनुसार)

(वर्ष 2020 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2020 की स्थिति अनुसार)

1. अधि. लो का पूरा नाम एवं सेवा :- श्री सतीश कुमार

2. संवर्ग :- 'ख'

3. वर्तमान धारित पद :- सहायक अभियन्ता

4. वर्तमान वेतनमान :-

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-सिकंदरपुर तहसील-भगवानपुर जिला-हरिद्वार।	कृषि भूमि 4 बीघा	—	क्रय	2008	13.35 लाख	17.21 लाख	—	

स्थान :- ऋषिकेश

दिनांक :- 15-06-22

हस्ताक्षर :

अधिकारी का नाम :- सतीश कुमार

पदनाम :- सहायक अभियन्ता

विभाग :- अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश

टिप्पणी :-

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्धनक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को कार्त्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति की ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय भूकट/अन्य भवन के रूप में ग्रन्थ की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल ग्रन्थ मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड ग्रन्थ कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अधिष्ठित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिष्ठित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्यीय सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

पत्रांक 606
फाइल 158
दिनांक 26/5/22

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा- इ रीता नेगी
2. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियंता

3. जन्म- 19/1/84
4. वर्तमान वेतनमान- 56100 - 177500, लेवल - 10

जिला, तहसील और गांव या शहरी जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने के माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	—	NIL	—	—

स्थान थलूड
दिनांक 21/02/22

हस्ताक्षर
अधिकारी/कर्मचारी का नाम- रीता नेगी
पदनाम- सहायक अभियंता
विभाग- लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड, थलूड।

टिप्पणी:-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अपररुद्ध प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

01
E C-I
26/05/22

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

पन्नांक 610
फाइल 158
दिनांक 25/5/22

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा- मृचा भट्ट

2. संयर्ग- श्रेणी ख

3. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

4. वर्तमान वेतनमान- 56100-177500, लेवल -10

जिला, तहसील और गांव या शहरी जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने के माध्यम (कय/लौज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अम्बुषित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	- NIL	-	-	-	-	-

स्थान धरदूड

दिनांक 25/01/2022

हस्ताक्षर 25/01/2022

अधिकारी/कर्मचारी का नाम- डॉ. मृचा भट्ट

पदनाम- सहायक अभियन्ता

विभाग- लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड, धरदूड।

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले फलैण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निशत्रक प्राधिकारी का अपरयुक्त प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गयी हो तो सम्म 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

or

ECP
26/01/22
26/01/22

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा दीपक नेगी
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता

2. संवर्ग ख
4. वर्तमान वेतनमान Basic Pay + 65000-20

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (ऋण/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIL					

स्थान- देहरादून
दिनांक- 14-6-2022

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम दीपक नेगी
पदनाम सहायक अभियन्ता (सिविल)
विभाग मुख्य साधनता कम्पलैक्स, लेनोविको देहरादून

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेन्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1 अर्थ, से का पूरा नाम एवं सेवा - रमेश चन्द्र पण्डे
2 संवर्ग अधीनस्थ क
3 वर्तमान धारित पद - सहायक अभियन्ता (मिलिटरी)
4 वर्तमान वेतनमान 56100-127500-10

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थिति है	सम्पत्ति आवास, भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक के सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकारी / उपहार / अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों के विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत ₹0 में	वर्तमान अनुमानित मूल्य ₹0 में	सम्पत्ति से 'वार्षिक आय' में	अभ्युक्ति
जयपुर सिटी उद्योग विभाग उद्योग विभाग उद्योग विभाग	1330 वर्ग फीट भू-भाग मे डुलैस 5400 वर्ग फीट भू-भाग	श्रीमती दीपा पण्डे (पत्नी)	स्वयं	27-3-2019	₹ 20.00 लाख	₹ 40.00 लाख	NIL	-
जयपुर सिटी उद्योग विभाग उद्योग विभाग	5400 वर्ग फीट भू-भाग	स्वयं के नाम पर	स्वयं	28-11-2013	₹ 6.75 लाख	₹ 12.00 लाख	-	-

स्थान - लो0नि0वि0 कपकोट
दिनांक -

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम रमेश चन्द्र पण्डे
पदनाम सहायक अभियन्ता (मिलिटरी)
विभाग नि0ख0, लो0नि0वि0 कपकोट

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अधन सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जायेगी।

श्री राहुल आर्या

राज्याधीन सेवाओं के कामकाज के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण - पत्र
वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

1. आगरी का पूरा नाम एवं सेवा- लो० नि० वि० कर्मकोट
3. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

2. संवर्ग क
4. वर्तमान वेतनमान 63100 (लेवल-10)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थिति है	सम्पत्ति आवास, भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक के सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकारी / उपहार / अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों के विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत रु० में	वर्तमान अनुमानित मूल्य रु० में	सम्पत्ति से वार्षिक आय रु० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N/A —	N/A —	N/A —	N/A —	N/A —	N/A —	N/A रु०	N/A रु०	N/A —

स्थान- लो० नि० वि० कर्मकोट

दिनांक- 21 May 2022

OR

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
विभाग

Rahul Arya
Assistant Engineer
नि० ख०, लो० नि० वि० कर्मकोट

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण संचालित किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जायेगी।

1 अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - राजेन्द्र सिंह (राज्य अभिलेखी सेवा)
3 वर्तमान धारित पद - सहायक अभिलेखी (सिविल)

2 संवर्ग - रव क
4 वर्तमान वेतनमान - level 10

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थिति है	सम्पत्ति आवास, भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक के सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकारी / उपहार / अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों के विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत रु० में	वर्तमान अनुमानित मूल्य रु० में	सम्पत्ति से वार्षिक आय ' में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIL						

स्थान - लो०नि०बि० कपकोट

दिनांक -

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम राजेन्द्र सिंह
पदनाम सहायक अभिलेखी
विभाग नि०ख०, लो०नि०बि० कपकोट

1. श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जायेगी।

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - डॉ. हरीश चन्द्र जोशी
3. वर्तमान धारित पद - सहायक अभियन्ता

2. संवर्ग अभियन्ता क
4. वर्तमान वेतनमान 56100-177500-10

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थिति है	सम्पत्ति आवास, भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक के सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकारी / उपहार / अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों के विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत रु० में	वर्तमान अनुमानित मूल्य रु० में	सम्पत्ति से 'वार्षिक आय' में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जलमोहा	200 वर्ग मी०	श्रीमती मंजू जोशी पत्नी	कम के जग	2014	30 लाख	30 लाख	-	

स्थान - लो०नि०वि० कपकोट

दिनांक - 7-5-2022

८

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

डॉ. हरीश चन्द्र जोशी
सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि० कपकोट

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अधन सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अधल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अधल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जायेगी।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(कलेण्डर वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अवधि :- सुरेन्द्र सिंह मखलोगा, 35 वर्ष
3. वर्तमान धारित पद :- सहायक अभियन्ता (सिविल)

2. संवर्ग :- श्रेणी ख
4. वर्तमान वेतनमान :- 123000-215900 (लेवल-13)

क्र. सं.	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० लाख में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० लाख में)	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला-टिहरी गढ़वाल, तहसील-टिहरी, गांव-नकोट	भूमि 0.150 है० भवन 0.012 है०	स्वयं	उत्तराधिकार 1/3 भाग	पिता की मृत्यु के पश्चात दि० 04.08.2002 को	-	3.00	-	विभाग में वर्ष 1985 से कार्यरत
2	जिला टिहरी गढ़वाल, तहसील-टिहरी शहर-नई टिहरी	भूमि 0.010 है० भवन 0.020 है०	स्वयं	उत्तराधिकार 1/3 भाग	-तदेव-	-	12.00	-	-तदेव-
3	जिला देहरादून, तहसील सदर, गांव अजबपुर कला	भूमि 0.036 है०	स्वयं	क्रय द्वारा श्री गंगाराम, पूर्ण सिंह पुत्रगण श्री टिकू निवासी ग्राम अजबपुर कला देहरादून से की गयी	27.05.2002	1.50	22.00	-	-तदेव-
4	जिला-देहरादून, तहसील-आधिकेश, गांव-छिंदरवाला	भूमि 0.110 है०	स्वयं	क्रय द्वारा, श्री पूरनचन्द रमोला पुत्र श्री इन्द्र सिंह रमोला निवासी भुमि की रेती, टिहरी गढ़वाल	23.04.2007	2.00	23.00	-	-तदेव-
5	जिला-देहरादून, आई.एस. बी.टी. कालोनी एम.डी.डी. ए.	प्लॉट 70.40 वर्ग मीटर	स्वयं	क्रय द्वारा एम.आई.जी. प्लॉट एमडीडीए देहरादून से क्रय किया गया है	02.05.2016	32.75	35.00	-	-तदेव- रु० 24.00 लाख बैंक लोन व शेष जी.पी.एफ. एवं बचत से।

स्थान :- देहरादून
दिनांक :- 03.03.2022

हस्ताक्षर 
अधिकारी का नाम-ई० सुरेन्द्र सिंह मखलोगा
पदनाम -सहायक अभियन्ता
विभाग-विभागाध्यक्ष कार्यालय

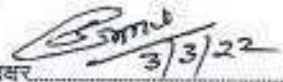
राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(कलेण्डर वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अवधि :- सुरेन्द्र सिंह मखलोगा, 35 वर्ष
3. वर्तमान धारित पद :- सहायक अभियन्ता (सिविल)

2. संवर्ग :- श्रेणी 'ख'
4. वर्तमान वेतनमान :- 123000-215000 (लेवल-13)

क्र. सं.	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/कंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० लाख में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० लाख में)	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	जिला-देहरादून, परगना-पश्चादून गांव-मल्लनपुर	भूमि 0.0378 हे०	श्रीमती सुषमा मखलोगा पत्नी सुरेन्द्र सिंह मखलोगा	कय द्वारा, श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार ग्राम बढीपुर देहरादून	31.01.2005	2.85	23.00	-	पत्नी वर्ष 1990 से राजकीय सेवा में कार्यरत
7	जिला-देहरादून, परगना-केन्द्रीय दून, ग्राम-अजबपुर कला	भूमि 0.0188 हे०	-तदैव-	कय द्वारा, श्री रामसिंह, चनेल सिंह आदि निवासी ग्राम अजबपुर कला	28.01.2002	1.825	23.00	-	-तदैव-
8		भूमि 0.0188 हे०	-तदैव-	पत्नी को उपहार, पिता श्री रामचन्द्र रमोला पुत्र श्री टी०सी० रमोला द्वारा	27.12.2010	-	23.00	-	-तदैव-
9	जिला-देहरादून, अजबपुर कला	निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट, क्षेत्रफल 147.78 वर्ग मीटर	-तदैव-	गोकुल रोजिडेन्सी में ए.बी. इन्फाटेक रुड़की द्वारा कय किया गया।	29.06.2021	30.00	30.00	-	-तदैव- बैंक लोन व बचत से कय किया गया।

स्थान :- देहरादून
दिनांक :- 03.03.2022


हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम-ई० सुरेन्द्र सिंह मखलोगा
पदनाम -सहायक अभियन्ता
विभाग-विभागाध्यक्ष कार्यालय

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी) की स्थिति के अनुसार

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा Lalit Mohan Harbola
2. वर्तमान धारित पद Assistant Engineer (17 years 7 months)

संवर्ग Civil
वर्तमान तनमान ₹ 69000/-

(₹ 56100 - ₹ 209200)
(Level-10)

जिला, तहसील और गांव या सहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्ज लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIL					

स्थान- Dehradun

दिनांक- 25/3/2022

1471 EA
25/3/22

हस्ताक्षर [Signature]

अधिकारी का नाम Lalit Mohan Harbola

पदनाम Assistant Engineer

विभाग 9th PWD Dehra Dun

E-A
25/03/2022

OK

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को दास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मुख्यण्ड द्वय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मुख्यण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2022-23 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अनिल कुमार चन्दोला 2. संवर्ग रव
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता 4. वर्तमान वेतनमान 1,38,500-00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्यवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(i) ग्राम-चन्दोला रोड जिला-पौड़ी गढ़वा	3880.00 वर्गमीटर एवं 50 वर्गमीटर निर्मित भवन	पैत्रिक सम्पत्ति	पैत्रिक सम्पत्ति	पैत्रिक	-	8,50,000-00	10,000-00	कृषि से आय
(ii) चाणक्यपुरी लेन नं०-2 तहसील-देहरादून जिला-देहरादून	350.00 वर्गमीटर निर्मित भवन 2400.00 वर्गमीटर (अ 222.96 वर्गमीटर)	अनिल कुमार चन्दोला स्वयं	क्रय	10/5/2000	2,50,000-00 (भूमि)	65,00,000-00	-	भूमि क्रय करने के पश्चात् 2005 में भवन निर्माण किया जा

स्थान- 01/6/2022
दिनांक- देहरादून

हस्ताक्षर अनिल कुमार चन्दोला
अधिकारी का नाम अनिल कुमार चन्दोला
पदनाम सहायक अभियन्ता
वर्तमान तैनाती स्थान कार्यालय भूमरव अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लेनि निर्माण विभाग देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक अधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मुखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मुखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

क्र.सं.	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

सूचना अधिनियम, 2002 के तहत सूचना का प्रसारण 20/12/2012

(31 दिसम्बर 2021 तक की स्थिति के अनुसार)

कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा - इं० पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक अभियंता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग। 2- संवर्ग- श्रेणी 'ख'
वर्तमान वर्तमान पद - सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला 4- वर्तमान वेतनमान 56100-177500 (LEVEL-10)

जिला जहाँ जमीन का खतर जितने सम्पत्ति निम्न है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति को उसका नाम और उससे सरकारी)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/ लीज/ बन्धक/ उत्तराधिकारी/ उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (लाख रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (लाख रु में)	सम्पत्ति के वर्गीकृत मूल्य (लाख रु में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम- बन्जारावाला प्लेटो अजमेर जिला- देहरादून उत्तराखण्ड	आवास संख्या-4 खाता संख्या-1427 खसरा 243, टी०एच०डी०सी० 446 बन्जारावाला, पछुवादून, देहरादून (क्षेत्रफल 74.81 वर्ग मीटर)	पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा	क्रय किया गया श्रीमती उषा अग्रवाल R/O लक्ष्मण चौक, देहरादून	दिसम्बर-2015	रु० 15.00	अज्ञात	-	जो भी देखा गया स्टैंड की बगल से।
हरिद्वार तहसील रुडकी	आवासीय प्लॉट ग्राम कोट कलीकर प्रथम परगना, तहसील रुडकी 116.171 वर्ग मीटर	पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा	पिता जी द्वारा प्रदत्त मी० रामीम, रुडकी	2019	रु० 2.00	अज्ञात	-	पिताजी द्वारा खरीद कर दिया गया।
देहरादून	आवास प्लेट संख्या-407 निलाया रिस्स, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून क्षेत्रफल- 190.45 वर्गमीटर	संयुक्त (1) श्रीमती शिल्पी मिश्रा पत्नी (2) पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा	क्रय किया गया श्रीमती अनुराधा भट्ट श्री चन्दन दीप भण्डारी श्रीमती शोभिका भण्डारी	19-08-2021	रु० 60.01	अज्ञात	-	रु० 40.00 लाख एस०बी०आई०, लोन एवं जी०पी०एफ० तथा पिताजी से सहायता प्राप्त

स्थान - पुरोला
दिनांक - 07-06-2022

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम - पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा
पदनाम - सहायक अभियंता
विभाग - निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला

टिप्पणी :-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कम्प्लेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणीयों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सादरी रीतेला
3. वर्तमान धारित पद सहायक इन्जिनियर

2. संवर्ग रत
4. वर्तमान वेतनमान 67000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खसरा संख्या 246 नौकरा ग्रांट भद्रानपुर तहसील जिला हरियाणा	03748 हैम्प्टन में से उछी थ्रीने अपने भाई जैल रीतेला के साथ कय की गई है।		क्रम हमीराम पुत्र नफ्तेराम ग्राम नौकरा ग्रांट सत कय की गई है।	26-11-2020	3.95 Lakh	-	-	

स्थान:- देहरादून

दिनांक:- 26-8-2022

सी रात
26/8/2022

हस्ताक्षर Sakshi

अधिकारी का नाम सादरी रीतेला

पदनाम सहायक इन्जिनियर

वर्तमान तैनाती स्थान मुख्य कार्यालय को.जी.वि. देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित निगुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्रेणी मन्त्रालय 2. संवर्ग ख
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता 4. वर्तमान वेतनमान 67000

जिला, तहसील और नांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	—	—	—	—

स्थान- देहरादून
दिनांक- 25/8/2022

श्री रावत
25/8/2022

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम श्रेणी मन्त्रालय
पदनाम सहायक अभियन्ता
वर्तमान तैनाती स्थान अन्वेषण रेल, लोकोपे. वि. देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अनीता भट्ट
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता

2. संवर्ग ख
4. वर्तमान वेतनमान 67,100-100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	-	-	-	-

स्थान- देहरादून

दिनांक- 24/08/2022

म. रा. भट्ट
24/8/2022

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम अनीता भट्ट
पदनाम सहायक अभियन्ता
वर्तमान तैनाती स्थान डिजाईन सैल, ले. नि. नि. देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा शैलू चौहान
2. संवर्ग अ
3. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ अधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 67,000.00

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्यविवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIL					

स्थान- देहरादून
दिनांक- 26-08-2022

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम शैलू चौहान
पदनाम अधीनस्थ अधिकारी
वर्तमान तैनाती स्थान डिप्टी सैलू
विभागाध्यक्ष कार्यालय

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निवृत्त प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र

वर्ष 2021 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- अनुपम राय
2. वर्तमान धारित पद- प्रो सहायक अभियन्ता

3. संवर्ग- अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा
4. वर्तमान वेतनमान-73200.00

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क़य/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) का उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अन्युक्ति
ग्राम श्रीडी (लोहाघाट) जिला- चम्पावत	आवासीय भवन (1600 sqft)	स्वयं	पैतृक सम्पत्ति (पिताजी से उत्तराधिकार में प्राप्त)	2003-04	400000.00 (अनुमानित)	1000000.00	Nil	पैतृक सम्पत्ति
तदैव	कृषि भूमि (लगभग 4 भागी)	स्वयं	तदैव	पुरतैनी	ज्ञात नहीं	250000.00	Nil	तदैव
स्टेशन बाजार, लोहाघाट	भवन/दुकान (700 sqft)	स्वयं	तदैव	पुरतैनी	ज्ञात नहीं	1250000.00	12000.00	तदैव
ग्राम अमांक (खटीना)	अकृषि भूमि (आवासीय प्रयोजन 2100 sqft)	स्वयं	कय की गई (श्री किसान सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह से)	10/2011	200000.00	450000.00	—	कय की गयी
ग्राम मानपुर उत्तर तहसील इल्हासी (नैनीताल)	फ्लैट (1191.45 sqft)	स्वयं	कय की गई (फास बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स एवं पाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०)	08/2017	3000000.00	3500000.00	—	कय की गयी

स्थान-देहरादून
दिनांक - 30.01.2022

हस्ताक्षर _____
अधिकारी का नाम- (अनुपम राय)
पदनाम- प्रो सहायक अभियन्ता
विभाग- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय,
लो० नि० वि०, देहरादून (सम्बद्ध-टी० ए० सी०,
नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।

टिप्पणी:

1. क्षेत्री 'क' एवं 'ख' के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कालेण्डर वर्ष के लिए अगस्त वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाये और यदि मुख्यभू कय कर उस भवन का निर्माण स्वयं किया गया है तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

राज्याधीन सेवाओं के कामकाज के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा SHIVA
3. वर्तमान धारित पद Assistant Engineer

2. संवर्ग A-E (Civil)
4. वर्तमान वेतनमान 56100-177500

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय(रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला-हरिद्वार	भू-खण्ड 2500 वर्ग मीटर	पिता, माई स्वयं	उत्तराधिकार	2018	—	अज्ञात	—	—
जिला-हरिद्वार	भूमि 0.48 हेक्टर	स्वयं	कृप	2021	8.90 लाख	अज्ञात	—	—

स्थान- Dehradun

दिनांक- 25.8.22

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम SHIVA

पदनाम A-E

विभाग P.W.D, H.O.D, Office

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य कय को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र

वर्ष 2021 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

अधीनस्थ अभियन्ता सेवा

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-

बृजेश कुमार नेगी (2004 के वर्तमान लव)

2. सर्वे-

(अपर सहायक अभियन्ता)

3. वर्तमान धारित पद-

प्र० सहायक अभियन्ता

4. वर्तमान वेतनमान-

56150-209200.50

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) का उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्युक्ति
पण्डितपुरी, पुराना केन्द्रीय डून जिला देहरादून	121.81 कीमी० अमि निष्ठमे अतल पर 105.39 का अमि निष्ठमे	स्वयं	आवासीय ऋण लेकर कम दायर अर्जित	2010	15.50 लाख	48.50 लाख	—	—
मौजा पट्टी वड़ी, केन्द्रीय डून जिला देहरादून	241.63 कीमी० अमि निष्ठमे अतल पर 127.67 का अमि निष्ठमे	श्रीमती रेखा नेगी (पत्नी)	आवासीय ऋण लेकर कम दायर अर्जित	2019	44.33 लाख	60.50 लाख	—	—
मौजा जोडाडवा गा-ट, पुराना पहाड़ जिला देहरादून	125.415 कीमी०	— स्वयं	आवासीय ऋण लेकर कम दायर अर्जित	2020	10.54 लाख	15.50 लाख	—	—

स्थान- देहरादून

दिनांक- 25/08/22

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अर्जित वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति निपुणित / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिग्रहण/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिग्रहण/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिग्रहण/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड कय कर उस भवन का निर्माण स्वयं किया गया है तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम बृजेश कुमार नेगी
पदनाम प्र० सहायक अभियन्ता
विभाग पिकाहास कर्पण लोधी
को देहरादून के जिला के लोधी

25/8/2022